

दिनांक 31.10.2023

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। परिवादी मय विद्वान अधिवक्ता श्री डी0एन0 शाह उपस्थित। अभियुक्त अनुपस्थित। अभियुक्त की ओर से पैरवी करने हेतु कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली परिवादी की प्रतिपरीक्षा हेतु नियत है। अभियुक्त को न्यायहित में अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है।

पत्रावली वास्ते प्रतिपरीक्षा दिनांक 10.11.2023 को पेश हो।

(प्रतीक मथेला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पौड़ी
पौड़ी गढ़वाल।